झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय :– राज्य में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित दाल–भात केंद्रो में से रात्रि केन्द्र के लिए भी रांची में दो, धनबाद में दो, हजारीबाग में एक, जमशेदपुर में एक, पलामू में एक दाल–भात केन्द्र एवं आदर्श केन्द्र हेतु रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, देवघर, कोडरमा जिला मुख्यालय में एक–एक तथा जमशेदपुर जिला मुख्यालय में दो दाल–भात आदर्श केन्द्र की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना 15 अगस्त, 2011 से राज्य के 24 जिलों के शहरी क्षेत्रों में कुल 100 दाल–भात केन्द्र एवं 2 अक्टूबर 2011 से राज्य के 260 प्रखण्डों में एक–एक तथा धनबाद, राँची एवं जमशेदपुर शहर में labour density को देखते हुए क्रमशः 4, 3, 3 दाल–भात केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। राज्य में सम्प्रति 370 स्वीकृत दाल–भात केन्द्रों में प्रत्येक लाभुकों को 5/– में एक समय का खाना खिलाया जाता है।

2. शहरी क्षेत्र के मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्रों में 400 गरीब व्यक्तियों को, नगर पंचायत के अधीन पड़ने वाले केन्द्रों में 300 गरीब व्यक्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले केन्द्रों में 200 गरीब व्यक्तियों को प्रति दिन 200 ग्राम चावल का दाल–भात खिलाया जाता है, साथ ही रांची में दो, धनबाद में दो, हजारीबाग में एक, जमशेदपुर में एक एवं पलामू में एक, कुल सात दाल–भात केन्दों में प्रति केन्द्र अधिकत्तम 200 गरीब व्यक्तियों को रात्रि में भी खाना खिलाया जायेगा।

3. चावल, चना एवं सोयाबीनबड़ी का क्रय बाजार समिति से सम्बद्ध अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी से क्रय की तिथि की न्यूनतम दर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा क्रय कर केन्द्र संचालकों को आपूर्ति की जायेगी। केन्द्र संचालकों को रूपये 100 प्रति क्विंटल की दर से चावल आपूर्ति की जायेगी।

4. खाना में दाल–भात के साथ चना/सोयाबीन बड़ी के साथ सब्जी दिया जाता है। इसके लिए केन्द्र संचालकों को चना एवं सोयाबीन बड़ी मुफ्त में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आलू, दाल, सब्जी, ईंधन, तेल, नमक इत्यादि वस्तुओं की व्यवस्था संचालकों द्वारा स्वयं की जाती है। आलू आदि सब्जी के साथ सप्ताह में चना 4 दिन एवं सोयाबीन बड़ी 3 दिन दाल–भात के साथ खिलाया जाता है। इसके लिए शहरी क्षेत्र के प्रति केन्द्र को प्रति दिन 5 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी, नगर पंचायत के अधीन पड़ने वाले प्रति केन्द्र को प्रति दिन 3.5 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी तथा प्रखण्ड क्षेत्र के प्रति केन्द्र को प्रतिदिन 2.5 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी की दर से मुफ्त में आपूर्ति केन्द्र संचालकों को की जायेगी। रात्रि केंद्र के लिए आवश्यकतानुसार चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी की आपूर्ति की जायेगी।

5. राज्य में रांची, हजारीबाग, धनबाद, पलामू, दवेघर, कोडरमा जिला मुख्यालय में एक–एक एवं जमशेदपुर जिला मुख्यालय में दो दाल–भात केन्द्र को आदर्श दाल–भात केन्द्र का स्वरूप देने के लिए प्रति केन्द्र आवश्यकतानुसार अधिकत्तम राशि 1,00,000/– (एक लाख रूपये) संबंधित जिलों को दिया जायेगा। इस राशि से सरकारी भूमि पर अवस्थित दाल–भात केन्द्रों को ही आदर्श बनाने के लिए व्यय किया जायेगा।

6. रांची में दो, धनबाद में दो, हजारीबाग में एक, जमशेदपुर में एक एवं पलामू में एक, कुल सात रात्रि दाल–भात केन्द्रों का संचालन किया जायेगा।

7. आदर्श केन्द्र एवं रात्रि केन्द्र के लिए अतिरिक्त आवंटन संबंधित जिला को वित्तीय वर्ष 2015–16 मुख्यमंत्री दाल–भात योजना मद से दिया जायेगा।

8. पूर्व से संचालित दाल–भात केन्द्रों की समीक्षा उपायुक्त के द्वारा समय–समय पर की जायेगी एवं जहाँ अतिआवश्यक हो वहीं केन्द्र का संचालन किया जायेगा, यथा केन्द्र बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, कोर्ट–कचहरी, अनुमण्डल मुख्यालय, रिक्शा, टेम्पू पड़ाव एवं मुख्य बाजार क्षेत्र आदि स्थानों पर संचालन किया जाना है जो केन्द्र उपयोगी नहीं होंगे उसे उपायुक्त समीक्षोपरान्त बन्द कर इसके स्थान पर उसी जिला में दूसरा केन्द्र जहाँ अतिआवश्यक हो, खोलवाकर विभाग को सूचित करेंगे।

9. दाल–भात केन्द्र के संचालन हेतु उपायुक्तों के द्वारा स्थानीय स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह का ही चयन किया जायेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों, जिनके माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है, का चयन पारदर्शी तरीके से ही किया जाय। संचालकों के द्वारा स्वयं दाल–भात केन्द्रों के लिए समुचित स्थान, भवन की व्यवस्था की जायेगी।

10. मुख्यमंत्री दाल–भात योजना राज्य के गरीब व्यक्तियों के लिए है तथा महिलाओं के स्वनियोजन एवं स्वालंबन के अवसर प्रदान करने हेतु इस योजना का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ही करवाया जायेगा।

11. जिला के उपायुक्त के द्वारा नोडल पदाधिकारी के रूप में निरीक्षण का कार्य किया जायेगा तथा अपर समाहर्त्ता आपूर्ति, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन की देख–रेख में इन केन्द्रों के अनुश्रवण की व्यवस्था की जायेगी ताकि भोजन की मात्रा, साफ–सफाई आदि सुनिश्चित की जा सके। जिला एवं अनुमंडल स्तर पर इस योजना की नियमित समीक्षा की जायेगी।

12. इस व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग द्वारा योजना की राशि का आवंटन जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया जाता है। केन्द्रों को योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सामग्रियों का आवंटन पंजी संधारित की जायेगी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक माह उपायुक्त के हस्ताक्षर से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्रों पर लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का व्यौरा भी संधारित किया जायेगा, जिसमें लाभान्वित व्यक्ति का नाम के साथ पता होना आवश्यक है। प्रत्येक माह लाभान्वित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या का वांछित प्रतिवेदन विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

14. केन्द्रों के संचालन की निगरानी On Line Monitoring व्यवस्था के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। दिनांक 31.03.2016 के पश्चात इस योजना के कार्यान्वयन तथा उद्देश्यों की पूर्ति का External Agency से evaluation भी करवाया जायेगा।

15. भोजन की गुणवत्ता तथा Hygiene सुनिश्चित करने हेतु उपायुक्तों द्वारा समुचित प्रबंध किया जाएगा।

16. राज्य में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के पूर्व से संचालित दिवा केन्द्रों के अतिरिक्त योजनान्तर्गत रात्रि केन्द्र हेतु रांची में दो, धनबाद में दो, हजारीबाग में एक, जमशेदपुर में एक, पलामू में एक, कुल सात दाल–भात केन्द्र एवं आदर्श केन्द्र हेतु रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, देवघर, कोडरमा जिला मुख्यालय में एक–एक तथा जमशेदपुर जिला मुख्यालय में दो, कुल आठ दाल–भात केन्द्र को आदर्श केन्द्र का स्वरूप देने की स्वीकृति एवं योजना में समय–समय पर विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन करने की स्वीकृति प्राप्त है।

17. राशि की निकासी बजट शीर्ष 3456–सिविल पूर्ति/उपशीर्ष–23–मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा। संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

18. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस सकंल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

27.11.15
(विनय कुमार चौबे),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 03/ज०वि०प्र०/18/2009(पार्ट) – 7188 /राँची, दिनांक – 27.11.15

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी एक सौ अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

27.11.15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 03/ज०वि०प्र०/18/2009(पार्ट) – 7188 /राँची, दिनांक – 27.11.15

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.11.15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 03/ज०वि०प्र०/18/2009(पार्ट) – 7188 /राँची, दिनांक – 27.11.15

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के आप्त सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन/सभी अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति)/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.11.15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 03/ज०वि०प्र०/18/2009(पार्ट) – 7188 /राँची, दिनांक – 27.11.15

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

27.11.15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 03/ज०वि०प्र०/18/2009(पार्ट) – 7188 /राँची, दिनांक – 27.11.15

प्रतिलिपि– बजट प्रशाखा, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.11.15
सरकार के सचिव।